न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

[illegible]/01/2013

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

—प्रार्थी

बनाम

1–टीकम सिंह पुत्र धन्ना (मृतक)
1/1–श्रीमती रुमा देवी पत्नी टीकम सिंह
1/2–रतनसिंह पुत्र टीकमसिंह
1/3–ताराचन्द पुत्र टीकमसिंह
1/4–सुरेश पुत्र टीकम सिंह
1/5–श्रीमती जयदेई पुत्री टीकम सिंह पत्नी बनवारी लाल निवासी नगर भरतपुर
1/6–अमरचन्द पुत्र टीकमसिंह (मृतक)
1/6/1–श्रीमती चन्द्रवती पत्नी
1/6/2–मीनू पुत्र
1/6/3–जीतेन्द्र पुत्र
} अमरचन्द निवासी माली मोहल्ला कुम्हेर गेट भरतपुर तहसील भरतपुर
1/6/4 रैनू पुत्री अमरचन्द पत्नी राजू निवासी बयाना जिला भरतपुर
2–नेमीचन्द पुत्र धन्ना
3–निरोत्तम पुत्र धन्ना
4–चिरंजी पुत्र यादराम
} जाति माली, माली मोहल्ला कुम्हेर गेट भरतपुर
5–नगर विकास न्यास भरतपुर

—अप्रार्थी०

रेफरेन्स प्रार्थना धारा 9 व 82 भूराजस्व अधिनियम 1956 आरजी खसरा नम्बर 648/8–08, 656/1–12, 657/1–00, 658/0–08, 659/08 किता–5 रकवा 12–16 वाके ग्राम कस्बा भरतपुर चक नम्बर 02, से सम्बन्धित नामान्तकरण संख्या 863 चक न.2 भरतपुर खातेदारी निरस्त करने।

उपस्थित :–

1– पैरोकार सरकार, प्रार्थी
2–श्री प्रमोद कुमार उपमन अभिभाषक अप्रार्थी0.

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है।
लिपिक
जिला कलक्टर, भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर

—2

जिला कलक्टर
भरतपुर

रेफरेन्स/01/2013
तहसीलदार भरतपुर बनाम टीकमसिंह वगै0

निर्णय दिनांक 9.10.2024

प्रार्थी तहसीलदार भरतपुर द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीयान अन्तर्गत धारा 9 व 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया कि आराज़ी खसरा नम्बर 648/8–08, 656/1–12, 657/1–00, 658/0–08, 659/08 किता–5 रकबा 12–16 बाके ग्राम कस्बा भरतपुर चक नम्बर 02, से सम्बन्धित नामान्तकरण संख्या 863 बहक सामलिया बन्द मोती व धन्ना पुत्र हीरामन अप्रार्थीगण के पूर्वज को निरस्त जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आराजी खसरा नम्बर पर अप्रार्थीगण के पूर्वज श्री सामलिया पुत्र मोती व धन्ना पुत्र हीरामन ने उक्त विवादित आराजी भूमि पर अपना नाम बहैसियत पट्टेदार साल एक व मिल्लत राजस्व कर्मचारियों के राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करा लिया है, जिसका नवीकरण कभी भी नहीं हुआ, चूँकि पट्टा मात्र एक साल के लिये म्याद का था। अप्रार्थीगण के पूर्वजों ने अनाधिकार रुप से व राजस्व कर्मचारियों से मिलकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 का सहारा लेकर नामान्तकरण संख्या 863 दिनांक 6–2–62 को खुलवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये, जब कि अधिनियम की धारा 15(2) के अन्तर्गत उस प्रकार की भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। नामान्तकरण संख्या 863 निरस्त योग्य है।

उक्त विवादित भूमि आबादी के करीब होने से जमीन बेस कीमती है तथा इस भूमि को नगर सुधार न्यास भरतपुर के लिये अन्य भूमियों के साथ कस्बा भरतपुर के विकास के लिये अवाप्त कर लिया गया है। प्रतिवादीगण अवाप्त हो जाने के प्रतिफल मुआवजा राशि लेने को उतारु हैं। यदि अप्रार्थीगण अपने मुहिम में सफल हो गये तो राज्य सरकार को अपार क्षति होगी। राजहित व जनहित में नामान्तकरण संख्या 863 कस्बा भरतपुर चक नम्बर 2 निरस्त कर उक्त आराजी पर हो रहे अप्रार्थीगण का नाम कलमजन किया जाकर भूमि को सिवाय चक दर्ज किये जाने तथा मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किये की स्वीकृति हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाये जाने की प्रार्थना की गई है।

छाया प्रति मूल पत्रावली के अनुसार सत्य है।
लिपिक
कलक्टर, भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
कलक्टर, भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

3

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण की सुनवाई की जाकर रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु इस न्यायालय के प्रकरण रेफरेन्स संख्या 47/1996 में निर्णय दिनांक 20.12.2001 को पारित किया जाकर प्रकरण रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को इस निवेदन के साथ भेजा गया –

"प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण माननीय रा.म. अजमेर को रा.भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 9 व 82 के अधीन इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि विवादित आराजीयात पर अप्रार्थीगण के पूर्वजान सामलिया वल्द मोती, धन्ना वल्द हीरामन के हक में किये गये इन्द्राज पट्टेदार साल एक अवैध आधारहीन बिला सक्षम आज्ञा के नामान्तकरण संख्या 863 होने के कारण कलमजन किये जावे तथा अवैध एवं आधारहीन इन्द्राज के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 863 अधिकार क्षेत्र के बाहर एवं प्रचलित कानून के प्रावधानों के विरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जावे तथा विवादित आराजीयात पूर्व की भांति राजकीय भूमि दर्ज करने की आज्ञा प्रदान की जावे।"

इस न्यायालय द्वारा प्रेषित उक्त रेफरेन्स पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने प्रकरण संख्या रेफरेन्स/एलआर/2815/2006/भरतपुर उनवान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर बनाम टीकम वगै0 में दिनांक 17.11.2013 को निर्णय पारित किया गया । माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 17–11–2013 में प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया –

"......हमारी सुविचारित राय में प्रकरण को जिला कलक्टर, भरतपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा कि सम्वत् 2009 से 2020 तक प्रत्येक साल के राजस्व रिकार्ड का परीक्षण किया जावे। सामलिया एवं धन्ना की खातेदारी अधिकार किस अवैध आदेश से दिये हैं, उसकी समीक्षा की जावे। सभी तथ्यों की विधि समीक्षा कर पुनः अपनी अभिशंषा मय समस्त दस्तावेज के भिजवायें।"

प्रमाणित प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है।
लिपिक
जिला कलक्टर, भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

........4

फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
कलेक्ट्रेट, भरतपुर

प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 17.11.2013 से रिमान्ड होकर प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर। निर्देशानुसार तहसीलदार भरतपुर से रिपोर्ट मय रिकार्ड तलब की गई। अप्रार्थीगण को नोटिस तलबी जरिये अखबार साया कराई गई। अप्रार्थीगण नम्बर 1/4, 1/2, 1/1, 1/3; 1/6/1 एवं 2, 3 की ओर एड. प्रमोद कुमार उपमन का वकालातनामा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना अखबार साहा उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने जबाब पेश किया जो शामिल मिसिल किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आरांजी खसरा नम्बर 648/8–08, 656/1–12, 657/1–00, 658/0–08, 659/08 किता–5 रकवा 12–16 बाके ग्रांम कस्बा भरतपुर चक नम्बर 02 जमीदारी विश्वेदारी उन्मूलन एक्ट प्रभावी होने से पूर्व से मिलकियत सरकार की थी। विवादित आराजी को किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आबन्टन नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण के पूर्वजों सामलिया बल्द मोती व धन्ना पुत्र हीरामन ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर बिना किसी आदेश के राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार साल एक दर्ज करा लिया है। पट्टेदारी इन्द्राजं के आधार पर तहसीलदार भरतपुर के यहॉ से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये हैं। जब कि तहसीलदार को धारा 15 के तहत किसी को खातेदारी देने का अधिकार नहीं देते हैं। पैरोकार सरकार का यह भी कहना है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15(2) के तहत अस्थाई काश्त/पट्टे पर दी गई भूमि पर खातेदारी दिया जाना वर्जित है। विवादित आराजी पर तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 863 अधिकार क्षेत्र के बाहर एवं प्रचलित नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध है। पैरोकार सरकार ने बताया कि तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण नियमों के विपरीत है तथा खारिज योग्य है। विवादित आराजी पर कभी भी अप्रार्थीगण के पूर्वज सामलिया बल्द मोती व धन्ना पुत्र हीरामन को कोई पट्टा नहीं दिया गया है। राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से ही किये जा सकते हैं। विवादित आराजी पर तहसीलदार भरतपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 863 जो अप्रार्थीगण के पूर्वाजों के नाम खातेदारी का नियमों के विपरीत एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर राजस्थान

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार मान्य है।
लिपिक
जिला कलक्टर, भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित
शासनिक अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

.....5

काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत स्वीकार किया गया है को निरस्त कराये जाने एवं विवादित आराजी को पुनः राजकीय भूमि पूर्वत दर्ज कराये जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किये जाने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी संख्या–5 की ओर उपस्थित पैरोकार ने जाहिर किया कि अप्रार्थीगण के नाम विवादित आराजी जरिये नामान्तकरण संख्या 863 के आधार पर किये गये हैं वे नियमों के खिलाफ है। तहसीलदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत किसी को खातेदारी देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण को विवादित आराजी पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। विवादित आराजी को आवाप्त किया जा चुका है। अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर स्वत्व तय होने के बाद ही मुआवंजा प्राप्त करने के हकदार रहते हैं। रेफरेन्स स्वीकार किये जाने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्को में जाहिर किया कि विवादग्रस्त आराजी कभी भी सरकारी या मकबूजा राज नहीं रही है। बल्कि काबिज काश्त की आराज़ी रही है। जिस पर क़ाश्त होती रहीं है अप्रार्थीगण के खातेदारी इन्द्राज सही प्रकार से राजस्व रिकार्ड में हैं। योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बताया कि विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा सवंत 2012 से पूर्व से ही काश्त की जाती रही है, उनके फोत होने के बाद उनके वारिसान अप्रार्थीगण काबिज चले आ रहे हैं। एक खातेदार को रेफरेन्स के माध्यम से आराजी से बेदख़ल नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार भरतपुर द्वारा यह रेफरेन्स म्याद बाहर पेश किया गया है। जो कांबिल ख़ारिज के है। रेफरेन्स खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अध्ययन किया गया। तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट पर गौर किया।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर नें अपने प्रकरण संख्या रेफरेन्स / एलआर / 2815 / 2006 / भरतपुर उनवान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर बनाम टीकम वगै0 में दिये गये निर्णय दिनांक 17.11.2013 का अध्ययन किया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर नें अपने निर्णय में सम्वत् 2009 से 2020 तक

.......6

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है।
लिपिक
जिला कलक्टर, भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रत्येक साल के राजस्व रिकार्ड का परीक्षण किये जाने एवं सामलिया एवं धन्ना को खातेदारी अधिकार किस अवैध आदेश से दिये हैं, उसकी समीक्षा की जावे। सभी तथ्यों की विधि समीक्षा कर पुनः अपनी अभिशंषा मय समस्त दस्तावेज के भिजवाये जाने की आज्ञा दी है।

इस सम्बन्ध में भूमिधारी तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट एवं राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। सम्वत् 2009 खसरा गिरदावरी में खसरा नम्बर 648 रकवा 8 बीघा 12 बिस्वा में वाडी, गौत व रवी में गेहू, गौचनी का अंकन हो रहा है। खसरा नम्बर 656 में खरीफ में खाली, रवी फसल गौ चनी, बाडी अंकित है। खसरा नम्बर 657 में खरीफ में खाली है व रवी वाडी अंकित है। खसरा नम्बर 658 में खरीफ में 8 बिस्वा खाली है तथा रवी में फसल बीघा 7 बिस्वा वाडी व 1 बिस्वा गैर मुमकिन अंकित है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 659 में खरीफ खाली है तथा रवी में फसल वाडी व गैर मुमकिन अंकित है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 में उक्तानुसार फसलों का अंकन है परन्तु किसके द्वारा काश्त की गई है का कोई अंकन नहीं है। अतः इस सम्वत् 2009 में अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कब्जा होना साबित नहीं है।

खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010–2013 में खसरा नम्बर 648, रकबा 8बीघा 12बिस्वा , खसरा नम्बर 656 रकवा 1बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 657 रकबा 1बीघा, खसरा नम्बर 658 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 659 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा में सम्वत् 2010 में सामलिया वल्द मोती व धन्नो वल्द हीरामन कौम माली साकिन कुम्हेर दरवाजा व हिस्सा वरावर प. 1 साल दर्ज रिकार्ड है। एवं सम्वत् 2010 से सम्वत् 2013 तक फसल इन्द्राज है।

यहॉ यह विचारणीय है कि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 में विवादित आराजी खसरा नम्बरान पर अप्रार्थीगण के पूर्वजों का नाम अंकित नहीं है। परन्तु बिना किसी सक्षम आज्ञा के सम्वत् 2010 में विवादि आराजी खसरा नम्बरान पर अप्रार्थीगण के पूर्वज किस आधार पर दर्ज किया गया है यह स्पष्ट नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि बिना किसी आज्ञा/आदेश के अप्रार्थीगण के पूर्वजों ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों अधिकारीयों से मिलकर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा लिये हैं। जो नियमों के खिलाफ है काबिल कलमजन के रहते हैं।

.......7

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है।
लिपिक
जिला कलक्टर भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

खसरा गिरदावरी सम्वत् 2014–2017 तक में भी अप्रार्थीगण के पूर्वज सामलिया वल्द मोती व धन्ना वल्द हीरामन कौम माली साकिन कुम्हेर दरवाजा पट्टेदार साल एक दर्ज रिकार्ड है। जब कि कथित पट्टा का अंकन एक साल के लिये ही था। सम्वत् 2011 से 2017 तक लगातार गलत इन्द्राज चलता रहा है। अप्रार्थी0 की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया गया है जिससे विवादित आराजी पर पट्टा मिला हो, कथित एक साल के पट्टे को आगे नवीनीकरण किया गया हो। यानि राजस्व रिकार्ड में पट्टा इन्द्राज मिली भगत कर कराये गये हैं।

विवादित नामान्तकरण संख्या 863 दिनांक 2.6.1962 पर गौर किया गया – नामान्तकरण के कॉलम संख्या 5 (कृषक का नाम) में सामलियां वल्द मोती व धन्ना वल्द हीरामन कौम माली सा. कुम्हेर दरवाजा वहि. बराबर पट्टेदार का अंकन आराजी खसरा नम्बर 648, 656, 657, 658, 659 पर हो रहा है। नामान्तकरण के कॉलम संख्या 11 में सामलिया वल्द मोती व धन्ना वल्द हीरामन कौम माली सा. कुम्हेर दरवाजा वहि. बराबर खातेदार दर्ज किया गया है। नामान्तकरण पर तहसीलदार भरतपुर द्वारा किया गया आदेश अंकित है जो इस प्रकार है –

> "...मुताबिक आर.टी.ए. धारा 15 दाखिल खारिज खातेदारी 12 बीघा 16 बिस्वा .....व हक सामलिया व धन्ना ब हिस्सा बराबर मन्जूर। अमल कीया जावे...।"

नामान्तकरण में हो रहे अंकन आदेश से जाहिर है कि तहसीलदार भरतपुर ने बिना सक्षम अधिकारी के आज्ञा के नियमों के विपरीत पट्टेदार को खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उक्त नामान्तकरण से राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने मिलीभगत कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत जरिये नामान्तकरण संख्या 863 दिनांक 2.6.1962 को तहसीलदार भरतपुर द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वजों सामलिया वल्द मोती व धन्ना वल्द हीरामन कौम माली साकिन कुम्हेर दरवाजा को विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। जो नियमों के विपरीत है तहसीलदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत किसी को खातेदारी देने का अधिकार नहीं है। तहसीलदार द्वारा जो खातेदारी

.....8

जिला कलक्टर
भरतपुर

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है।
लिपिक
जिला कलक्टर भरतपुर
फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर

अधिकार दिये गये हैं वे नियमों के खिलाफ हैं। इस प्रकार तत्कालीन तहसीलदार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नामांतकरण संख्या 863 दिनांक 2.6.1962 द्वारा खातेदारी अधिकार दिये गए जो राजस्व विधि अनुसार प्रारम्भिक स्तर पर ही शून्य थे। जो काबिल खारिज के है। इस प्रकार जमावन्दी सम्व 2018 एवं सम्वत 2019–2022 में खसरा नम्बर 648, 656, 657, 658, 659, पर सामलिया बन्द मोती व धन्ना बल्द हीरामन कोम माली साकिन कुम्हेर दरवाजा व हिस्सा बराबर खातेदारान दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तहसीलदार भरतपुर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत नामान्तकरण संख्या 863 दिनांक 2.6.62 अप्रार्थीगण के पूर्वज सामलिया बन्द मोती व धन्ना बल्द हीरामन कोम माली साकिन कुम्हेर दरवाजा भरतपुर स्वीकार कर उक्त अप्रार्थी0 को खातेदार दर्ज किया गया है। तहसीलदार भरतपुर को उक्त अधिनियम की धारा 15 के तहत किसी को खातेदारी देने का अधिकार नहीं देते हैं, तहसीलदार भरतपुर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नियमों के खिलाफ यह नामान्तकरण स्वीकार किया गया है।

Rajasthan Tenancy Act.Section 15. के अन्तर्गत केवल सहायक कलक्टर को खातेदारी देने के अधिकार हैं तहसीलदार को नहीं।:–
आर0वी0जे0(6)1999 पेज 172 में प्रतिपादित किया है –

"Rajasthan Tenancy Act.Section 15. Under this section only Assistant Collector can grant khatedari rights-under section 15 of the Tenancy Act.. The Tehsildar can not pass order under this section. Therefore, attestation of mutation by the Tehsildar is illegal.....the order of Tehsildar is Void abinitio."

राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 (8) में " Bar to making reference-No limitation prescribed- Held,reference against Mutation Competent.

R.R.D. 1991 Pag No.492

Revision Nos. 10 and 11/Banswara of 89, decided on 6th Aug., 1991.

(a) Limitation Act, Sections 3 and 5-Impugned order passes without jurisdiction can be set aside at any time -Question or limitation need not be considered.(Para 14)

.....9

फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

R.R.D. 1992 Pag No.17
Revision No. 114/Ganganagar of 89, decided on 12th Sept., 1991.
(c) Limitation Act Section 3 - Impugned order, illegal and nonest - Such an order can be challenged at any time.
(Para 3)

इसी प्रकार आर 0बी0जे0 (10) पेज 218 माननीय राज0 उच्च न्यायालय में प्रतिपादित किया है कि Rajasthan Land Rev. Act. 1956.. Section 82- No limitation is prescrived for making reference...

इस प्रकार तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के स्वीकार किया गया नामान्तकरण संख्या 863 दिनांक 2.6.1962 कस्बा भरतपुर चक न. 2 तहसील भरतपुर जो सामलिया बन्द मोती व धन्ना बल्द हीरामन कोम माली साकिन कुम्हेर दरवाजा भरतपुर पट्टेदार से खातेदारी का स्वीकार किया गया है वह नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्त कराये जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार भरतपुर द्वारा नियम विरुद्ध स्वीकार किये गये नामान्तकरण संख्या 863 दिनांक 2.6.1962 कस्बा भरतपुर चक न.2 तहसील भरतपुर जो सामलिया बन्द मोती व धन्ना बल्द हीरामन कोम माली साकिन कुम्हेर दरवाजा भरतपुर पट्टेदार से खातेदारी का स्वीकार किया गया है को निरस्त किया जावे एवं विवादित आराजी पर दर्ज अप्रार्थी0 के नाम इन्द्राज कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जावे तथा विवादित आराजी पूर्वत राजकीय सरकारी भूमि दर्ज कराये जाने के आदेश दिये जावे। प्रकरण रेफर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 20.11.2024 को पेश हो। अभिभाषक उभय पक्षकारन को अवगत कराया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 9–10–2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर